न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फो॰ प्रा॰ प्र॰ सं॰ 54/2021
राहूलसिंह vs राज॰ सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2/12/21	वकील प्रार्थी उप॰। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी व रामावतार पूनिया EI उप॰। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा पत्रावली दिनांक 6.12-21 को पेश हो। कलक्टर,नागौर	
6.12.21	वकील प्रार्थी उप॰। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी व श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी उप॰। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 9.12.21 को पेश हो। कलक्टर,नागौर	
9/12/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में जब्तसुदा वाहन टैंकर नम्बर डी.एन.09/एन.9676 का रजिस्टर्ड मालिक मुझ राहूलसिंह का सगा भाई रौनकसिंह है व उसका आम मुख्त्यार प्रार्थी राहूलसिंह है, अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। दिनांक 24.9.2021 को जिला रसद अधिकारी नागौर ने पुलिस थाना खींवसर में एक लिखित रिपोर्ट इस आधार पर पेश की कि उन्हे पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारन की सुचना मिलने पर खींवसर पहुँच कर थानाधिकारी से सम्पर्क करके तहरीर के आधार पर बेनीवालो की ढाणी कुड़छी पहुंचे। साथ में पुलिस जाप्ता था। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर पुलिस द्वारा डीटेनसुदा पेट्रोलियम पदार्थ से भरे व कुछ खाली ड्रम पाये तथा टेंकर में पांच खण्ड पाये गये जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर नाप तोल किया गया व टेंकर चालक राजेशसिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह चालक है। मैसर्स किसान एन्टरप्राईजेज के यहां ऑयल खाली करवा रहा था जो ऑयल सिलवासा से उक्त टेंकर में भर कर बेनीवालो की ढाणी कुड़छी लेकर आया था, साथ में खलासी राजसिंह भी था। मौके पर मैसर्स किसान ऐन्टरप्राईजेज के टोगाराम ने बताया कि उसकी फर्म इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल का [illegible] 2021 को सिलवासा से ऑयल उक्त टैंकर द्वारा [illegible] नाम से 26071 लेकर ट्रांसफारमर ऑय[illegible] घर के सामने रखे लोहे के [illegible]ड्रमो में खाली कर[illegible] था। तब ऑयल के साथ प्रार्थी के उक्त [illegible] मौके पर सें जब्त कर लिया [illegible] परिवहन भण्डारण व विक्रय से संबंधित किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक कलक्टर,नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्र० पत्र सं० 54/2021
शार्दूलसिंह vs राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21 (लगातार)	दस्तावेज नहीं होने से मौके पर ही टेंकर चालक व खलासी को गिरफतार किया गया, टेंकर को जब्त किया, ऑयल तेल को जब्त किया व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की रिपोर्ट पेश होने पर उपरोक्त मुकदमा सीआर.नं. 258/2021 थाना खींवसर में दर्ज किया गया।	

प्रार्थी के उक्त टेंकर के सम्बन्ध में टेंकर चालक ने मौके पर पूजा रोडलाईसेंस ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मार्फत तेल लेकर आया उससे संबंधित तमाम कागजात मय ई–व्हे बिल टेक्स रसीद इत्यादि दिखाये थे जिनको जानबूझ कर शामिल पत्रावली नहीं किया गया, तमाम आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रतियां श्रीमान के अवलोकन हेतु साथ पेश है जिससे स्पष्ट है कि कोई अवैध परिवहन इस वाहन से नहीं हो रहा था। उक्त दस्तावेजात न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर को दिखाने व अवलोकन हेतु पेश करने पर माननीय न्यायालय ने उक्त टेंकर के चालक राजेशसिंह व खलासी राजसिंह के जमानत के आदेश भी पारित किये गये थे।

उक्त वाहन के असल दस्तावेजात डी.एल, आर.सी., इंश्योरेंस व परमीट वगैरा वाहन के टूलबॉक्स में ही है। उक्त वाहन काफी समय से इस प्रकरण में जब्त है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है, वाहन के अभाव में भारी असुविधा व आर्थिक क्षति हो रही है। प्रकरण हाजा में उक्त वाहन की पुलिस वालों को कोई आवश्यकता नहीं रही है। उक्त वाहन रख रखाव के अभाव में पड़ी पड़ी खराब होने की पुरी संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेगा। प्रार्थी माफिक माननीय न्यायालय हाजा के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने उपरोक्त प्रकरण में जब्तसुदा वाहन मय दस्तावेजात प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर ने बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2012 के अनुसार प्रकरण में वाहन की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में जब्तसुदा वाहन टैंकर नम्बर डी.एन.09 एन.9676 टैंकर चालक श्री राजेशसिंह पुत्र हकीरसिंह से मौके पर जब्त किया गया। मौके पर ही श्री राजेशसिंह ने उक्त जब्तशुदा वाहन टेंकर का मालिक प्रार्थी रौनकसिंह होना तथा उक्त टेंकर में 26000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा था, जिसमें से उसके द्वारा 16500लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 75 लौहे के ड्रमों में खाली करना अवगत करवाया। मौके पर जब्त किये गये उक्त टेंकर के पांचों खण्डों में 9500लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया, जो अवैध रूप से पाये जाने पर मौके पर ही जब्त किया जाकर पुलिस थाना खींवसर को सुपुर्द किया गया है। उक्त जब्तशुदा टेंकर में 9500लीटर पेट्रोलियम भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त जब्तशुदा टेंकर को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। उक्त संबंध में उक्त जब्तशुदा टेंकर मय 9500 लीटर पेट्रोलियम के ... अन्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु प्रकरण रसद मामला संख्या–115/2021 सरकार बनाम राजेशसिंह वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रा० पत्र 54/2021
शाइलसिंह V/S राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21 (लगातार)	वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2012 के अनुसार प्रकरण में वाहन की आवश्यकता नहीं है। उक्त जब्तसुदा वाहन टैंकर नम्बर डी.एन.09 एन.9676 उक्त जब्तशुदा टेंकर में 9500लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है तथा उक्त जब्तशुदा वाहन व पेट्रोलियम पदार्थ आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–115/2021 सरकार बनाम राजेशसिंह वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने से उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को भिजवाई जावे। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं रसद मामला संख्या 115/2021 की पत्रावली के साथ नत्थी हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर,नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested